

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक

/

/2020

//कार्यालय-आदेश//

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, विधान सभा सचिवालय में सत्रोपरांत एक दिवस का विश्राम अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवकाश कोरोना वाइरस (कोविड-19) के मद्देनजर सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दृष्टि से प्रभारी अधिकारी द्वारा जिन अधिकारी /कर्मचारियों को सत्रावधि में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई है ऐसे अधिकारी /कर्मचारी कार्यालय नहीं आये हैं को, छोड़ कर शेष अधिकारी /कर्मचारी जो सत्रावधि में नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहे हैं को, उक्त विश्राम अवकाश का लाभ एक माह अर्थात् दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के भीतर उठाने की पात्रता होगी।

आदेश से,



अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 31/8/2020

पृ.क्रमांक 9829 /वि.स./स्था./2020
प्रतिलिपि

01. मा. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मा. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
04. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।



अपर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा